प्रेस नोट सं0-33
दिनांक 26.12.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना मुसाफिरखाना पुलिसद्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल 01 बांस का डण्डा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.12.2025 को वादी श्री संतोष मिश्रा पुत्र स्व0 अमर नाथ मिश्रा नि0 ग्राम पिण्डारा ठाकुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा थाना मुसाफिरखाना पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनका पुत्र रत्नेश मिश्रा उर्फ शिवा उम्र करीब 23 वर्षदिनांक 23.12.2025 को समय करीब 6.30 बजे शाम को शौच के लिए नहर पटरी पर गया था तभी उनके गांव के ही विपक्षी अंकित यादव, पंकज यादव,शिवपूजन यादव आदि मिलकर एक राय होकर धारदार हथियार से मारकर भाग गये थे। घायल रत्नेश को इलाज हेतु अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना पर थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 191(2), 191(3), 190,103(2), 351(3), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना से संबन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा संबन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिये गये थे।
पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराधअपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.12.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना परमु0अ0सं0 318/25 धारा 191(2), 191(3), 190,103(2), 351(3), 3(5) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों 1.अंकित यादव उर्फ लालू यादव उम्र करीब 21 वर्ष, 2.पंकज यादव पुत्रगण शिवपूजन यादव उम्र करीब 27 वर्ष व 3.शिवपूजन यादव पुत्र रामेश्वर यादव उम्र करीब 49 वर्ष निवासीगण ग्राम पिण्डारा ठाकुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया व 02 नफर बाल अपचारियों को नियमानुसार निगरानी में लिया गया। अभियुक्त अंकित यादव व पंकज यादव की निशानदेही पर ग्राम पिण्डारा ठाकुर के पास से हत्या की घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनकी मृतक से पुरानी रंजिश को लेकर कसीदगी रहती थी। दिनांक 23.12.2025 को मृतक को अकेला पाकर मारकर भाग गये थे। बरामद डण्डा के बारे में अभियुक्त अंकित यादव ने बताया कि यह वही डण्डा है जिससे उसने रत्नेश मिश्रा (मृतक) के सिर पर प्रहार किया था। थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –
1. अंकित यादव उर्फ लालू यादव पुत्र शिवपूजन यादव निवासी ग्राम पिण्डारा ठाकुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष।
2. पंकज यादव पुत्रगण शिवपूजन यादवनिवासी ग्राम पिण्डारा ठाकुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 27 वर्ष।
3. शिवपूजन यादव पुत्र रामेश्वर यादव निवासी ग्राम पिण्डारा ठाकुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 49 वर्ष।

बरामदगी –
- आलाकत्ल 01 अदद बांस का डण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
- मु0अ0सं0 318/25 धारा 191(2), 191(3), 190,103(2), 351(3), 3(5) बीएनएसथाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –
1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. व0उ0नि0 श्रवण कुमार श्रीवास्तव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 गोपालमणि मिश्रा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 अजय पालथाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. हे0का0 सत्येन्द्र यादवथाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
6. का0 छविलालथाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
7. का0 अजय सिंह यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।